



2026:AHC:4800

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 19193 वर्ष 2025

अभिषेक कुमार गौर और 58 अन्य

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : अनिरुद्ध पांडे

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान रिट याचिका वापस लेने की मांग की है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि (1) प्रतिवादी संख्या 2 को दिनांक 23.12.2023 को जारी विज्ञापन के अनुसरण में कांस्टेबल सिविल पुलिस, सीधी भर्ती, 2023 के पद पर लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन/शारीरिक मानक परीक्षण (डी.वी./पी.एस.टी.) में उत्तीर्ण होने वाले और शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) में भी उत्तीर्ण होने वाले सभी उम्मीदवारों (याचिकाकर्ताओं सहित) के कच्चे अंक और मानकीकृत अंक घोषित करने का निर्देश देते हुए परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए; (II) इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस माननीय न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी अन्य रिट, आदेश या निर्देश को जारी किया जाए; (III) याचिकाकर्ताओं के पक्ष में याचिका की लागत प्रदान की जाए, और उन्हें रिट-ए संख्या 19179 वर्ष 2025 में उचित आवेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता दी जाए।

2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

3. उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस ले ली गई मानकर **निरस्त** की जाती है।

8 जनवरी, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)